विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक/23/2026

संस्थित दिनांक 22.06.2026

श्रीमति अनीता अरोरा, ...परिवादी

गॉधी नगर, विद्या ज्योति स्कूल के पास,

मुर्रा भट्टी गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)

मोबाईल नं. : 94242–20888

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 10/07/2026 को पारित)

परिवादी के परिसर में की जा रही विद्युत की खपत की तुलना में अत्यधिक राशि का देयक उत्तरवादी द्वारा प्रेषित किए जाने से अंसतुष्ट होकर, मीटर की जांच करते हुए समस्या का हल किए जाने के निवेदन के साथ परिवादी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. गांधी नगर, मुर्रा भट्ठी गुढियारी, रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 3.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1005971336 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को माह अप्रैल एवं मई 2026 में क्रमशः 621 यूनिट एवं 707 यूनिट का देयक प्रेषित किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के अनुसार उसका मकान दो कमरों का, मात्र 500 स्क्वायर फीट में निर्मित है जिसमें सामान्य भार का ही उपयोग किया जाता है । कुछ समय पूर्व ही एक एयरकंडीशनर स्थापित किया गया है । लेकिन पिछले कुछ माहों से उत्तवादी द्वारा वास्तविक खपत की तुलना में अत्यधिक राशि का देयक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

प्रेषित किया जा रहा है । परिवादी द्वारा, मीटर की जांच करते हुए अधिक देयक राशि की समस्या से मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 374 दिनांक 03.07.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

अधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर परिवादी के परिसर स्थित मीटर की जांच दिनांक 03.07.2026 को की गयी जिसमें मीटर की कार्यप्रणाली सही पायी गयी । परिवादी द्वारा पिछले वर्ष इसी अवधि में की गयी खपत, वर्तमान खपत के ही अनुरूप है अतः परिवादी को प्रेषित देयक सही एवं नियमानुसार है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार है या उसमें कोई अतिरिक्त राशि उत्तरवादी द्वारा जोडी गयी है ।

(ii) क्या उत्तरवादी द्वारा की गयी परिवादी के मीटर की जांच, मीटर की कार्यप्रणाली के सही होने का पर्याप्त आधार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि विगत कुछ महीनों से उसके परिसर में किए जा रहे विद्युत के उपयोग की तुलना में उत्तरवादी द्वारा अधिक राशि का देयक प्रेषित किया जा रहा है । उत्तरवादी द्वारा स्मार्ट मीटर एप में दर्ज पूर्व माह की रीडिंग का मिलान उसके देयक में दर्ज रीडिंग से करते हुए फोरम के समक्ष बताया गया कि परिवादी का देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के ही अनुरूप प्रेषित किया गया है जिसे परिवादी प्रतिनिधि द्वारा भी स्वीकार किया गया । उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि परिवादी के देयक में वास्तविक देयक राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं जोडी गयी है । अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुरूप होने के कारण सही है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. अधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने की शिकायत के बाद उत्तरवादी द्वारा दिनांक 03.07.2026 को परिवादी के परिसर स्थित मीटर की परिवादी प्रतिनिधि की उपस्थिति में जांच की गयी जिसमें मीटर में दर्ज हिस्ट्री रीडिंग उसके देयक में दर्ज रीडिंग के अनुरूप पायी गयी एवं तद्नुसार मीटर की कार्य प्रणाली सही पायी गयी । उत्तरवादी द्वारा की गयी मीटर की जांच के बाद भी परिवादी प्रतिनिधि द्वारा फोरम के समक्ष मीटर द्वारा, उपयोग की तुलना में अधिक खपत दर्ज किए जाने का संदेह व्यक्त किया गया ।

सप्लाई कोड की कंडिका 8.21 यथा – "A consumer may request the licensee to test the meter, if he still doubts its accuracy, by applying to the licensee along with the requisite testing fee." के अनुसार परिवादी के पास मीटर की जांच, सक्षम मीटर टेस्टिंग प्रयोगशाला में कराए जाने का विकल्प है । इसी प्रकार छत्तीसगढ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन) 2024 की कंडिका 31 की उपकंडिका (एल) यथा –

(l) Where complaints are received from consumers related to excess reading/billing, check meters are to be compulsorily installed. के अनुसार परिवादी अपने परिसर में चेक मीटर लगाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि उत्तरवादी द्वारा की गयी परिवादी मे मीटर की जांच, मीटर की कार्य प्रणाली को सही प्रमाणित करने का पर्याप्त आधार नहीं है । परिवादी, मीटर की जांच सक्षम लैब से कराए जाने अथवा चेक मीटर स्थापित किए जाने का आवेदन उत्तवादी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

8. परिवादी द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2026 में की गयी खपत शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित 400 यूनिट की सीमा से अधिक है इसीलिए परिवादी को उक्त महीनों में शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी नहीं मिल सका है । परिवादी की देयक राशि अधिक होने का यह भी एक कारण है ।

9. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत हम यह पाते हैं कि परिवादी को उत्तरवादी द्वारा प्रेषित देयक सही एवं परिवादी द्वारा भुगतान योग्य है ।

10. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

(i) उत्तरवादी द्वारा परिवादी को प्रेषित देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुरूप होने के कारण सही है ।

(ii) फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि परिवादी द्वारा चेक मीटर स्थापित किए जाने अथवा मीटर की जांच समक्ष लैब में कराए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तद्नुसार कार्यवाही किया जाना एवं प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि आवश्यक हो तो परिवादी के देयक में नियमानुसार सुधार किया जाना सुनिश्चित करें ।

11. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य

आदेश पारित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष